

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद
(अरुण कुमार हसीजा, आई०ए०एस०, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)
प्रार्थनापत्र 3 जी (5) संख्या 20/2022

दायर दिनांक : 07.12.2022

आदेश दिनांक : 29.08.2025

1. मोहनलाल पिता रामा जी जाति गुर्जर आयु वयस्क, निवासी भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द
2. अमरी बेवा दोला जी जाति गुर्जर आयु वयस्क, निवासी भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द

— प्रार्थीगण

बनाम

1. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये सक्षम अधिकारी/भू अवाप्ति अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द
2. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना अधिकारी, सुभाष नगर, भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये श्री तहसीलदार, कुंवारिया

— विपक्षीगण

क्लेम आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 3 छ उपधारा 5 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997

अधिसूचना क्रमांक 3014 दिनांक 04.10.2013 एवार्ड दिनांक 13.04.2015

उपस्थित :-

1. श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी
2. विपक्षी संख्या 1 उपस्थित।
3. श्री विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2
4. श्री अनिल बागोरा, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1997 के तहत अंतर्गत धारा 3 जी उपधारा 5 के अधीन प्रार्थना पत्र विरुद्ध अधिसूचना क्रमांक 3014 दिनांक 04.10.2013 एवं दिनांक 13.04.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमंद की आराजी नम्बर 548, 549 रकबा क्रमश 0.0566, 0.0890 है० अर्थात कुल 1356 वर्गमीटर कृषि भूमि को सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी संख्या 1 द्वारा 288.78/- रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से 4,20,463/- रूपये भूमि के निर्धारित किये गये। लेकिन मुआवजा वर्तमान बाजार दर अनुसार अदा नहीं किया गया है, न ही इस पर पूर्ण ब्याज एवं क्षतिपूर्ति राशि एवं तोषण राशि का भुगतान किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1000 रूपये प्रति



(Handwritten signature)

वर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का कम मुआवजा तय किया गया है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थीगण की 1356 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा 1000 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है। लेकिन प्रार्थीगण को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक उपयोग की है। उक्त भूमि नगरीय सीमा में स्थित नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में भूमि स्थित होने से मुआवजा राशि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित परियोजना के लिए गुणांक ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार 1.25 माने जाने के प्रावधान है। प्रार्थीगण की उक्त अवाप्तशुदा भूमि की अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 को जारी की गई जबकि भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. दर दिनांक 28.12.2012 की प्रचलित दरों के आधार पर तय किया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। उक्त भूमि पर मुआवजा राशि के साथ ही क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 1.75 गुणा सोल्यूसन राशि के रूप में तथा अवाप्ति दिनांक से धारा 28 के तहत ब्याज देय होता है जो उक्त मामले में न तो तय किया गया है न अदा किया गया है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये हैं निर्देश के अनुसार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। बाजार दर की तीन गुना राशि तथा इस पर दिनांक 28.09.2013 से 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज एवं तोषण (solatium) राशि प्रार्थीगण प्राप्त करने का अधिकारी हैं। भू अवाप्ति अधिनियम 2013 की धारा 26, 27 के प्रावधानों के तहत मुआवजा राशि तय करने के आधार एवं प्रावधान दिये गये हैं इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी भारत संघ बनाम तरसेमसिंह के विनिश्चय में भी नेशनल हाईवे प्राधिकरण की धारा 3 जे को असंवैधानिक घोषित करते हुए सोल्यूसन राशि एवं ब्याज अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में अदा करने के दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। प्रार्थनापत्र का कारण दिनांक 13.04.2015 को प्रार्थीगण का अवार्ड जारी करने एवं दिनांक 20.04.2019 को चैक की राशि भुगतान करने के पश्चात् प्रार्थीगण द्वारा अवार्ड कम जारी होने से उपरोक्तानुसार राशि भुगतान करने हेतु निवेदन करने पर भी भुगतान नहीं किये जाने एवं अन्तिम बार 01.04.2022 को भुगतान का निवेदन करने के बावजूद भी भुगतान नहीं किये जाने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरुद्ध स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में अवाप्त की जा रही है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।



Asht

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 स्वयं उपस्थिति तथा विपक्षी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विनोद कुमार शर्मा ने उपस्थिति दी तथा तथा विपक्षी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री अनिल बागोरा, उपस्थित हुए। तथा अधीनस्थ कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से अवार्ड पत्रावली तलब की गई।

विपक्षी संख्या 02 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना क्रमशः दिनांक 28.12.2012 व 04.10.2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर ग्राम भावा के खसरा नम्बर 548 व 549 में से प्रश्नगत भूमि अवाप्त की गई। उक्त अधिसूचनाओं का प्रार्थीगण/भू-हितधारी को सूचित करने के लिए स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर आपत्तियों आमन्त्रित की गयी, जिन व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत की गयी, उनका सुनवाई बाद नियमानुसार निस्तारण किया गया। लेकिन प्रार्थी की ओर से 21 दिन की निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के अनुसार धारा 3ए की अधिसूचना को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित कृषि भूमि की दर को उपयोग में लेकर अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिनांक 25.07.2014 को अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि सही एवं उचित है तथा अन्तिम हो चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 25.07.2014 को ही मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया था। अब प्रार्थीगण किसी प्रकार की अन्य कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अवाप्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिनांक 25.07.2014 को अवार्ड जारी कर दिया गया, जिसमें प्रार्थीगण को अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभ दिये गये हैं। प्रार्थीगण स्वयं को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुंचाने की नीयत से अवाप्त भूमि की दर 1000 प्रतिवर्ग फीट से अधिक बता रहे हैं, जो कि सरासर मिथ्या व आधारहीन है, अधिसूचनाओं में वर्णित किस्म कृषि भूमि का अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण करने के उपरान्त जवाबदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के खाते में राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिसके भुगतान की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती है, जिसको हितधारी विधिक दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होते है, ऐसी दशा में मुआवजा राशि के भुगतान में देरी होने पर जवाबदाता कतई ही जिम्मेदार नहीं है। प्रार्थीगण को अधिनियम 1966 के समस्त लाभ दिये गये है, प्रार्थीगण ने जिस नजीर का हवाला दिया गया है, वह प्रस्तुत प्रकरण पर लागू नहीं होती है। यहाँ स्पष्ट करना आवश्यक है कि RFCTLARR ACT 2013, 1 जनवरी 2014 को प्रभावी हो चुका था, परन्तु उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों (क्रम संख्या 7 पर वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956) पर लागू नहीं किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिनियम 2013 की प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुसूची के प्रावधानों को अधिनियम 1956 पर दिनांक 01.01.2015 (भूतलक्षी प्रभाव) से लागू किया गया। ऐसे में RFCTLARR ACT 2013 के कोई भी प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है, जिसके कारण प्रार्थीगण RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के तहत सोलेशियम, ब्याज, गुणक आदि कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।



(Handwritten signature)

विपक्षी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि NH 758 राजसमन्द भीलवाडा चार लाईन निर्माण हेतु अवाप्ति की कार्यवाही 3D क्रमांक 3014, 392 व 2301 द्वारा की गई हैं एवं सम्बन्धित हित धारकों को मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की गई है। प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा नियमानुसार तत्समय प्रचलित DLC Rate अनुसार ही किया गया है। 3 (A) अधिसूचना की नियत मियाद गुजरने के बाद ही 3(D) अधिसूचना गई थी। अवाप्त की गई भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार कृषि भूमि दर्ज थी जो कि वर्तमान में NHA के खाते में दर्ज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को सव्यय खारिज फरमावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि राजस्व ग्राम भावा तहसील कुंवारिया जिला राजसमन्द की आराजी नम्बर 548, 549 रकबा क्रमश 0.0566, 0.0890 है 0 अर्थात् कुल 1356 वर्गमीटर कृषि भूमि को सम्मिलित किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा विपक्षी संख्या 1 द्वारा 288.78/- रूपये प्रतिवर्गमीटर की दर से 4,20,463/- रूपये भूमि के निर्धारित किये गये। लेकिन मुआवजा वर्तमान बाजार दर अनुसार अदा नहीं किया गया है, न ही इस पर पूर्ण ब्याज एवं क्षतिपूर्ति राशि एवं तोषण राशि का भुगतान किया गया है। उक्त अवाप्तशुदा भूमि की वर्तमान बाजार दर 1000 रूपये प्रति वर्गफीट से भी अधिक है। जबकि उक्त भूमि का कम मुआवजा तय किया गया है। सक्षम प्राधिकारी अधिकारी द्वारा इसके अनुसार मुआवजा राशि तय नहीं की न ही अदा की, न ही एवार्ड जारी किया गया जबकि प्रार्थीगण की 1356 वर्गमीटर अवाप्त होने पर भी भूमि का मुआवजा तय नहीं किया गया है जबकि उक्त भूमि का मुआवजा 1000 रूपये प्रति वर्गफीट की दर से देय होता है। लेकिन प्रार्थीगण को उक्तानुसार भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है न ही ब्याज का भुगतान किया गया है। मुआवजा के भुगतान पर हुई देरी पर ब्याज तोषण (solatium) राशि देय होती है जो कि उक्त प्रकरण में अदा नहीं किया गया है जबकि दर अनुसार मुआवजा तय ही नहीं किया गया है, न ही अदा किया गया है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि वाणिज्यिक उपयोग की है। उक्त भूमि नगरीय सीमा में स्थित नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में भूमि स्थित होने से मुआवजा राशि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित परियोजना के लिए गुणांक ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार 1.25 माने जाने के प्रावधान है। प्रार्थीगण की उक्त अवाप्तशुदा भूमि की अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 04.10.2013 को जारी की गई जबकि भूमि का मुआवजा डी.एल.सी. दर दिनांक 28.12.2012 की प्रचलित दरों के आधार पर तय किया गया है जो स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण है। उक्त भूमि पर मुआवजा राशि के साथ ही क्षतिपूर्ति राशि के रूप में 1.75 गुणा सोल्यूसन राशि के रूप में तथा अवाप्ति दिनांक से धारा 28 के तहत ब्याज देय होता है। उक्त अवाप्ति कार्यवाही में मुआवजा राशि नेशनल हाईवे प्राधिकरण भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्रालय द्वारा भी भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनःव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत एवार्ड राशि अदा करने के निर्देश दिये गये थे। दिनांक 01.01.2015 तक एवार्ड राशि अदा करने एवं सक्षम न्यायालय में जमा नहीं कराने पर उक्त अधिनियम के तहत मुआवजा भुगतान करने के निर्देश दिये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी मानसिंह के प्रकरण में मुआवजा राशि अदा करने के निर्देश दिये हैं निर्देश के अनुसार वर्ष 2013 भू अवाप्ति अधिनियम के प्रावधान नेशनल हाईवे प्राधिकरण में भी लागू किये जा चुके थे तथा एवार्ड की तारीख से पूर्व यह प्रावधान लागू किये जा चुके थे जिसके अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जावे। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरुद्ध स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की भूमि जो उक्त अवाप्ति की कार्यवाही में



[Handwritten signature]

अवाप्त की गई है उसका मुआवजा उपरोक्त वर्णित अनुसार निर्धारित करवा कर उक्त राशि प्रार्थीगण को विपक्षी से दिलवायी जावे।

विपक्षी संख्या 2 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए व 3डी के तहत जारी अधिसूचना क्रमशः दिनांक 28.12.2012 व 04.10.2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर ग्राम भावा के खसरा नम्बर 548 व 549 में से प्रश्नगत भूमि अवाप्त की गई। उक्त अधिसूचनाओ का प्रार्थीगण/भू-हितधारी को सूचित करने के लिए स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कर आपत्तियों आमन्त्रित की गयी, जिन व्यक्तियों द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निर्धारित समयावधि में आपत्ति प्रस्तुत की गयी, उनका सुनवाई बाद नियमानुसार निस्तारण किया गया, लेकिन प्रार्थी की ओर से 21 दिन की निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। तदोपरान्त सक्षम प्राधिकारी ने अधिनियम 1956 की धारा 3जी (7) (ए) के अनुसार धारा 3ए की अधिसूचना को जिला स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित प्रचलित कृषि भूमि की दर को उपयोग में लेकर अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिनांक 25.07.2014 को अवार्ड पारित कर दिया गया, जो कि सही एवं उचित है तथा अन्तिम हो चुका है। प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वप्रथम दिनांक 25.07.2014 को ही मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिया गया था। अब प्रार्थीगण किसी प्रकार की अन्य कोई मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अवाप्त कृषि भूमि की मुआवजा राशि का निर्धारण कर दिनांक 25.07.2014 को अवार्ड जारी कर दिया गया, जिसमें प्रार्थीगण को अधिनियम 1956 के प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभ दिये गये हैं। प्रार्थीगण स्वयं को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुंचाने की नीयत से अवाप्त भूमि की दर 1000 प्रतिवर्ग फीट से अधिक बता रहे हैं, जो कि सरासर मिथ्या व आधारहीन है, अधिसूचनाओं में वर्णित किस्म कृषि भूमि का अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा राशि का निर्धारण करने के उपरान्त जवाबदाता द्वारा सक्षम प्राधिकारी के खाते में राशि हस्तान्तरित की जा चुकी है, जिसके भुगतान की कार्यवाही सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जाती हैं, जिसको हितधारी विधिक दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र होते है, ऐसी दशा में मुआवजा राशि के भुगतान में देरी होने पर जवाबदाता कतई ही जिम्मेदार नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अवाप्त भूमि वाणिज्यिक नहीं होकर कृषि भूमि है। हस्तगत प्रकरण में भूमि अवाप्ति का अवार्ड दिनांक 25.07.2014 को पारित हो जाने से अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूची के प्रावधान लागू ही नहीं होते है, RFCTLARR ACT 2013, 1 जनवरी 2014 को प्रभावी हो चुका था, परन्तु उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में वर्णित अधिनियमितियों (क्रम संख्या 7 पर वर्णित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956) पर लागू नहीं किया गया था। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिनियम 2013 की प्रथम, द्वितीय, तृतीय अनुसूची के प्रावधानों को अधिनियम 1956 पर दिनांक 01.01.2015 (भूतलक्षी प्रभाव) से लागू किया गया। ऐसे में RFCTLARR ACT 2013 के कोई भी प्रावधान हस्तगत प्रकरण पर लागू नहीं होते है, जिसके कारण प्रार्थीगण RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के तहत सोलेशियम, ब्याज, गुणक आदि कोई लाभ प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी की अवाप्त शुदा भूमि का मुआवजा नियमानुसार तत्समय प्रचलित DLC Rate अनुसार ही किया गया है। अवाप्त की गई भूमि राजस्व रिकार्ड



Arh


अनुसार कृषि भूमि दर्ज थी जो कि वर्तमान में NHIA के खाते में दर्ज है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना को सब्यय खारिज फरमावे।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह अवगत कराया गया कि उनको जो अवार्ड दिया गया है। वो RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के तहत नहीं दिया गया है तथा तोषण (solatium) राशि की गणना नहीं की गयी है। तथा अवार्ड का भुगतान बाजार दर से नहीं किया गया।


प्रकरण में अधीनस्थ कार्यालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर यह जाहिर हुआ कि प्रकरण में अवार्ड दिनांक 13.04.2015 को जारी किया गया। और इस अवार्ड का अध्ययन करने पर इसमें यह जाहिर हुआ कि मुआवजे का जो भुगतान किया गया जो DLC दर के अनुसार किया गया है। परन्तु किसी प्रकार के तोषण (solatium) राशि की गणना नहीं की गयी है। अर्थात् जो अवार्ड जारी किया गया है। वह राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। परन्तु प्रकरण में अवार्ड दिनांक 01.01.2015 के बाद जारी किया गया है। तो इस प्रकार के प्रकरणों में भारत सरकार के विधि एवं न्याय अनुभाग द्वारा उक्त संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जिस पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा भी सहमति व्यक्त की गयी है। अतः प्रकरण अधीनस्थ कार्यालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अवार्ड का निर्धारण RFCTLARR ACT 2013 के प्रावधानों के अनुरूप करते हुए संशोधित अवार्ड जारी करे। निर्णय की प्रति मय अधीनस्थन कार्यालय की मूल अवार्ड पत्रावली कार्यालय सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।


(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

आदेश आज दिनांक 29.08.2025 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(अरुण कुमार हसीजा)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर
राजसमन्द

